17.4.25

पत्रावली पेश हुई। विपक्षी पक्षकार से लिखाया जावे बाद विरोध प्रति से तहसीलदार अलवर को बाबत पालनार्थ भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली मिसल कायम हो बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री यशार्थ शेखर (आई०ए०एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/06	अपील	24.05.2022	17.04.2025

उनवान

1:-बलबीर सिंह पुत्र श्री गोपाल उर्फ गोपाल राम जाति जाट उम्र करीब 44 साल निवासी जाट मौहल्ला कैरवाजाट तहसील व जिला अलवर

अपीलान्ट

बनाम

2:-ग्राम पंचायत खेडली सैयद, पंचायत समिति रामगढ तहसील व जिला अलवर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 445 आदेश दिनॉक 20-5-1990 वाके ग्राम कैरवाजाट, ग्राम पंचायत खेडली सैयद, तहसील अलवर

निर्णय

अपीलान्टस ने राज.भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया कि तहत अदालत ग्राम पंचायत खेडली सैयद तहसील व जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 20-5-1990 का है इसलिये यह अपील अदालत श्रीमान श्रवण योग्य योग्य है तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/05/1990, जिसकी जानकारी पूर्व मे नही रही तथा जानकारी होने पर नकल विरासत नामान्तकरण आदेश 20-5-1990, दिनांक 16/05/2022 को प्राप्त की इसके पश्चात अपीलान्ट द्वारा संबधित अधिकारियो यहाँ दर० पेश कर नाम दुरूस्ती का निवेदन किया गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही हुई केवल समय जायल होता रहा है अपीलान्ट कानूनी अनभिज्ञता के कारण अदालत श्रीमान के समक्ष अपील नही ला सका अब कानूनी सलाह मिलने पर बिना देरी के यह अपील अदालत श्रीमान के समक्ष पेश है दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम के तहत दर० विस्तृत विवरण सहित प्रथक से पेश है।

प्रकरण मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम बलबीर सिंह पुत्र गोपाल उर्फ गोपाल राम है नाकि मुकेश पुत्र गोपाल वास्तविक नाम की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज जिनमे पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड, जाति प्रमाणपत्र, जनआधार कार्ड की प्रति शाामिल है संलग्न है आराजी साबिक खसरा नम्बर 444 रकबरा 2 बीधा 3 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 894 रकबा 0.15 है.. 895 रकबा 0.15 है., 896 रकबा 0.09 है., 898 रकबा 0.15 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर व साबिक खसरा नम्बर 498

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

रकबा 5 बीघा 9 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1028 रकबा 0.54 है., 1029 रकबा 0.58 है., 1032 रकबा 0.27 है., कुल किता 3 रकबा 1.39 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.06 है. व साबिक नम्बर 312 रकबा 2 बीधा 11 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 643 रकबा 0.18 है., 644 रकबा 0. 18 है., 645 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.65 हैक्टेयर वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान में विद्यमान है। जिस आराजी के अपीलान्ट के पिता गोपाल उर्फ गोपाल राम पुत्र हरबक्श रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है जिनका देहान्त हो चुका है मृतक गोपाल को गाँव मे व परिवार के बडे लोग गोपाल राम के नाम भी पुकारते थे। इस प्रकार गोपाल व गोपाल राम ये दोनो नाम अपीलान्ट के पिता के ही है। इन दो नामो के दो अलग अलग व्यक्ति नही है। मृतक गोपाल उर्फ गोपाल राम का विरासत इंतकाल संख्या 445 दिनाक 20/05/1990 को मृतक गोपाल उर्फ गोपाल राम के वारिसान के हक मे रेस्पॉडेन्ट द्वारा स्वीकृत किया गया मृतक गोपाल उर्फ गोपाल राम के वारिसो मे अपीलान्ट का नाम भी शामिल है उक्त विरासत इंतकाल में अपीलान्ट का नाम मुकेश पुत्र गोपाल दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम बलवीर सिंह पुत्र गोपाल उर्फ गोपाल राम है यही नाम अपीलान्ट विरासत इंतकाल में दर्ज कराना चाहता है। बाद जानकारी यह अपील अदालत श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है जिसे निम्न बिन्दूओ के आधार पर काबिले स्वीकार्य है यह है कि तहत अदालत द्वारा विना जॉच किऐ, बिना सुनवाई किऐ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत व विधि विरूद्ध आलौच्य आदेश दिनाक 20/05/1990 अपीलान्ट के त्रुटिपूर्वक दर्ज नाम की हद तक काबिले अपास्त योग्य है।

उक्त विरासत इंतकाल में अपीलान्ट का नाम मुकेश पुत्र गोपाल दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम बलवीर सिंह पुत्र गोपाल उर्फ गोपाल राम है यही नाम अपीलान्ट विरासत इन्तकाल मे दर्ज कराना चाहता है इसके अभाव मे अपीलान्ट को भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है केडिट कार्ड लेने व अन्य कार्यवाही करने मे अडचन पैदा हो रही है

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन हैकि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत ग्राम पंचायत खेडली सैयद तहसील व जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/05/1990 बाबत विरासत इंतकाल संख्या 445 वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील व जिला अलवर अपास्त करते हुऐ विरासत इंतकाल संख्या 445 में अपीलान्ट का दर्ज नाम मुकेश पुत्र गोपाल के स्थान पर बलबीर सिंह पुत्र गोपाल उर्फ गोपाल राम दर्ज करते हुऐ संशोधित विरासत इंतकाल स्वीकृत कराये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये रेस्पोडेन्ट विधि सम्मत तामील उपरान्त भी उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लेते हुये बहस सुनी गई बहस मे अपीलान्ट के द्वारा कथन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 444 रकबरा 2 बीधा 3 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 894 रकबा 0.15 है.. 895 रकबा 0.15 है., 896 रकबा 0.09 है., 898 रकबा 0.15 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर व साबिक खसरा नम्बर 498 रकबा 5 बीधा 9 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1028 रकबा 0. 54 है., 1029 रकबा 0.58 है., 1032 रकबा 0.27 है., कुल किता 3 रकबा 1.39 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1030 रकबा 0.06 है. व साबिक नम्बर 312 रकबा 2 बीधा 11 विस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 643 रकबा 0.18 है., 644 रकबा 0. 18 है., 645 रकबा 0.29 हैक्टेयर कुल किता

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

3 रकबा 0.65 हैक्टेयर वाके ग्राम कैरवाजाट तहसील अलवर जिला अलवर–राजस्थान में विद्यमान है उक्त आराजी के अपीलान्ट के पिता गोपाल उर्फ गोपाल राम पुत्र हरबक्श रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहे है जिनका देहान्त हो चुका है मृतक गोपाल को गाँव मे व परिवार के बडे लोग गोपाल राम के नाम भी पुकारते थे। इस प्रकार गोपाल व गोपाल राम ये दोनो नाम अपीलान्ट के पिता के ही है इन दो नामो के दो अलग अलग व्यक्ति नही है मृतक गोपाल उर्फ गोपाल राम का विरासत इंतकाल संख्या 445 दिनाक 20/05/1990 स्वीकार किया गया जिसमे अपीलान्ट का नाम मुकेश पुत्र गोपाल दर्ज किया गया जबकि सही नाम बलवीर सिंह पुत्र गोपाल उर्फ गोपाल राम है।

प्रकरण मे तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट प्राप्त की गई तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट क्रमॉकःभू0अ0/2024/8813 दिनॉक 31–12–24 के अनुसार मुताबिक जमाबन्दी हाल के खाता नंबर 41, 302, 40, 39 वाके ग्राम केरवाजाट में मुकेश पुत्र गोपाल जाति जाट साकिन देह खातेदार हिस्सा के अनुसार दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी में अपीलान्ट मुकेश पुत्र गोपाल के स्थान पर बलबीर सिंह पुत्र गोपालराम जाति जाट दर्ज करवाने का अनुतोष चाहता है मुताबिक रिपोर्ट उक्त राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 445 विरासत दिनांक 20/05/1990 गोपाल पुत्र हरबक्स जाट फोत के वजाय मु. धन्नो वेवा गोपाल किशोर, श्रीराम, रामजस, रघुवीर, मुकेश, पुत्रान गोपाल जाति जाट साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ है उक्त नामान्तकरण संख्या 445 विरासत दिनांक 20/05/1990 हाल राजस्व रिकॉर्ड में सही अमल दरामद हुआ है जो अशुद्धि नहीं होकर सही अंकन हुआ है।

अतः मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का खेडलीसैयद एवं भू अभिलेख निरीक्षक देसूला के उक्त नामान्तकरण संख्या 445 के अनुसार वर्तमान रिकॉर्ड में नाम सही है जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया प्रार्थना पत्र दफा 5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किया तथा बहस पर मनन किया तहत पारित आलोच्य आदेश प्रथम दृष्टया अपास्त योग्य प्रतीत होता है अतः अपील अपीलान्ट इस हद तक स्वीकार की जाती है तहत पारित आलोच्य आदेश ग्राम केरवाजाट, ग्राम पंचायत खैडली सैयद तहसील अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 445 दिनॉक 20–05–1990 वाके ग्राम कैरवाजाट ग्राम पंचायत खैडली सैयद तहसील अलवर जिला अलवर इस हद तक अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि भू–राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों को दृष्टिगत रखते हुऐ प्रकरण मे विधिक रूप से प्रर्याप्त साक्ष्य/सबूत पेश करने का प्रर्याप्त अवसर अवसर/समय प्रदान करते हुये पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 17–04–2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
अलवर